राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 744/2024

सोनू लाल मीणा –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
2. आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
3. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, गंगापुरसिटी।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.02.2024
आदेश की दिनांक : 21.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री रविकांत अग्रवाल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में संशोधन कर संशोधित अपील मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की, उस पर उनको सुना गया। संशोधित अपील स्वीकर कर संशोधित अपील को रिकॉर्ड पर लिया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 05.11.1998 द्वारा व्याख्याता के पद पर नियुक्त किया जाकर अपीलार्थी का पदस्थापन राजकीय महाविद्यालय, बारां में किया गया। अपीलार्थी के कार्यग्रहण की प्रति अनुलग्नक–1 पर अवलोकनीय है। अपीलार्थी वर्तमान में आचार्य (राजनीतिक विज्ञान) के पद पर कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय महाविद्यालय, गंगापुरसिटी से राजकीय महाविद्यालय, धौलपुर कर दिया गया, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 02 पर अंकित है। उक्त आदेश की अनुपालना में अपीलार्थी को दिनांक 26.02.2024 (अनुलग्नक–3) द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी के पास पुस्तकालय का प्रभार था, को विजय सिंह को प्रभार सौंपने के लिए कहा है (अनुलग्नक–4)। अपीलार्थी को दिनांक 23.02.2024 को यानी एक दिन के भीतर पुस्तकालय का प्रभार

सौंपने के लिए कहा है, जो पुस्तक जारी होने और अन्य आवश्यक कार्यों के कारण एक दिन में संभव नहीं है। अपीलार्थी को जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) सवाईमाधोपुर द्वारा आदेश दिनांक 04.01.2024 (अनुलग्नक–5) द्वारा सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया गया है। आलौच्य स्थानान्तरण आदेश के प्रभाव से अपीलार्थी द्वारा सेक्टर अधिकारी का कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। स्थानान्तरण करने से पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) की कोई सहमति नहीं ली गई है। राजकीय महाविद्यालय, गंगापुरसिटी में राजनीति विज्ञान के 8 पद है तथा स्थानांतरण के प्रभाव से राजनीतिक विज्ञान के 03 पद है। वार्षिक परीक्षाएं होनी है और परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे है और राजनीति विज्ञान का पद रिक्त होने से छात्रों को परेशानी होगी और आवेदक के पास पुस्तकालय का अतिरिक्त प्रभार है, जिसके लिए उसे पहले पुस्तकों का रिकॉर्ड तैयार करना होगा। अपीलार्थी का 150 कि.मी. दूर स्थानान्तरण कर दिया गया, जबकि निकटवर्ती महाविद्यालयों में पद रिक्त है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–2) को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर निरन्तर कार्यरत रखा जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के राजकीय अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को पुस्तकालय का कार्यभार हस्तान्तरण के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। प्राचार्य के द्वारा दिनांक 22.02.2024 के स्थानान्तरण आदेश जारी होने पर अपीलार्थी को दिनांक 23.02.2024 को ही कार्यभार हस्तान्तरण हेतु निर्देशित किया था उसके उपरान्त अपीलार्थी को दिनांक 26.02.2024 को कार्यमुक्त किया गया था। प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय गंगापुरसिटी को जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचित करने हेतु विभाग द्वारा निर्देशित कर दिया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील आलौच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपीलार्थी को राजकीय महाविद्यालय, गंगापुरसिटी से राजकीय महाविद्यालय, धौलपुर पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थल पर दिनांक 29.09.2018 से कार्यरत है। स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.02.2024 द्वारा अपीलार्थी को राज्यहित में वर्तमान स्थान पर समुचित पदस्थापन अवधि के पश्चात स्थानान्तरित किया गया है तथा इस आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि एवं नियम विरूद्धता परिलक्षित नहीं होती है। स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम

प्राधिकारी द्वारा किया गया है, जिसमें कोई दुर्भावना परिलक्षित नही हो रही है। अतः इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य